प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 13/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'नेट निरपेक्षता हेतु ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियां (टीएमपी) और बहु–हितधारक निकाय' पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 27 नवंबर, 2019 को 'नेट निरपेक्षता हेतु ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियां (टीएमपी) और बहु–हितधारक निकाय' पर परामर्श पत्र पर हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां आमंत्रित की थी । हितधारकों से परामर्श पत्र लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 30 जनवरी, 2020 और 13 फरवरी, 2020 रखी गई थी।

2. परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय–सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखकर लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर क्रमशः 13 फरवरी, 2020 और 27 फरवरी, 2020 करने का विनिश्चय किया गया है।

3. टिप्पणी और प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advqos@ltrai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए, श्री असित कादयान, सलाहकार (क्यूओएस), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर + 91– 11–23230404, फैक्स नंबर + 91–11–23213036 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।